न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए / 20 / 2017**

**उनवान**

1. श्रीमती राजु देवी पत्नी स्व0 देबी पुरी जाति गोस्वामी, निवासी सरदार नगर, पटेलाई, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. लादु पुरी पुत्र किशनपुरी गोस्वामी निवासी सरदारनगर, पटेलाई, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण संख्या 11 / 2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.5.2015

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री राकेश सुराणा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एम एल सेन ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी
3.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजी ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदार नगर भू अभिलेख

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निरीक्षक उपरेडा तहसील बनेडा मे आराजी नम्बर 2431 रकबा 09 बिस्वा स्थित है। जिस पर वादी वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादिया संख्या 1 ने दिनांक 16.8.2008 को अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है । जिसकी पत्थरगढी भी वादी ने दिनांक 17.6.2009 को कराई जिसमें मौका का नाप व सीमांकन किया जाकर मौके पर सीमाचिन्ह कायम किये गये, मौका पर्चा बना गया । सीमाचिन्ह को प्रतिवादिया संख्या 1 ने उखाड कर फेंक दिये व जबरन कब्जा कर रखा है, वादी को फसल काश्त नहीं करने देती है व लडाई झगडा कर थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कराती है व झूठा उलजाने की धमकियॉ देती है जबकि वादी के ग्राम सरदारनगर में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस जमीन के अलावा और कोई भूमि नहीं है । उक्त भूमि में वादी फसल काश्त नहीं कर पा रहा है । जिसमें वादी को प्रतिवर्ष 12000/-- का नुकसान उठाना पड रहा है। अतः वादी प्रतिवादिया संख्या 1 को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने व हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादिया संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटाने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादिया टालमटोल करती रही एवं प्रतिवादिया द्वारा वादी के खिलाफ झूठी कार्यवाही करवाई जा रही है। अंतिम बार दिनांक 28.12.2013 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो वह कब्जा हटाने से इंकार हो गई।

2. अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 2431 रकबा 09 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 को मौके से पुलिस इमदाद से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सन् 2009 से 12,000/—रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से कब्जा प्राप्त होने तक धारा 35 (ए) के तहत फसल हर्जाना राशि दिलाई जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी। अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त अपीलार्थीया/प्रतिवादी ने जवाब हेतु अवसर चाहा जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.1.2015 नियत की गई। दिनांक 9.1.2015 को अधिवक्ताओं की हडताल होने से आगामी पेशी दिनांक 24.4.2015 नियत की गई। और उसके बाद अपीलार्थीया अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुई एवं प्रकरण को दिनांक 21.5.2015 को कैम्प कोर्ट लोक अदालत सरदारनगर में रखने की सूचना अपीलार्थीया/प्रतिवादिया को नहीं दी गई । जिससे वह लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो पाई। किसी अन्य व्यक्ति से प्रार्थीया के नाम के हस्ताक्षर विपक्षी संख्या 1 के पुत्र ने करवा दिये और अधिनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित करवा ली । इस कारण अपीलार्थीया को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो पाई। दिनांक 11.1.2017 को अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर अपीलाधीन निर्णय की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जानकारी हुई। , इस पर अपीलार्थी ने नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई। नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं नकल प्राप्ति दिनांक से अंदर अवधि अपील प्रस्तुत कर दी गई । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वाद पत्र ग्राम सरदार नगर की आराजी संख्या 2431 रकबा 09 बिस्वा भूमि का रेकार्डेड खातेदार होने का कथन करते हुए अपीलार्थीया का कब्जा दिनांक 16.8.2008 से कब्जा करने का कथन करते हुए अपीलार्थीया का अवैध अतिक्रमण कब्जा बताया और पत्थरगढी दिनांक 17.6.2009 को कराई । जिससे मौके पर सीमांकन से जानकारी होने का कथन कर अपीलार्थीया को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवर्ष 12000/–रूपये फसल का हर्जाना उठाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया ।

7. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया/प्रतिवादी को नोटिस की तामील होने के उपरान्त अपीलार्थीया/प्रतिवादी ने अधिवक्ता को नियुक्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.1.2015 नियत की गई। उसके उपरान्त अधिवक्ताओं की हडताल होने से तारीख पेशी बदल कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.4.2015 दी गई जो अपीलार्थीया ने नोट कर ली । उक्त प्रत्रावली में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया को सूचना दिये बिना ही कैम्प कोर्ट सरदार नगर में रखकर पेशी से पूर्व ही 21.5.2015 को अपीलार्थीया की अनुपस्थिति में अपीलाधीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया/प्रतिवादी दिनांक 21.5.2015 को कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई उसके बावजूद अपीलार्थीया के नाम से फर्द अहकाम पर किसी अन्य व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये व राजीनामे के आधार पर कब्जा छोडने की सहमति का अंकन करते हुए लोक अदालत की भावना से प्रत्यर्थी/वादी का वाद पत्र डिक्री कर दिया और 30 दिन में कब्जा छोडने का आदेश पारित कर दिया । अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीया की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम सरदार नगर की आराजी संख्या 2431 रकबा 9 बिस्वा पर अपीलार्थीया का कब्जा कई वर्षो से लगभग 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने के उपरान्त भी अपीलार्थीया का ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीया को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस बात की जानकारी है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीया का कब्जा चला आ रहा है। प्रत्यर्थी/वादी को वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीया का कब्जाकाश्त होने की जानकारी थी। प्रत्यर्थी/वादी ने गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया ।

10. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने बाबत कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीया का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीया ने आज भी सरसों की काश्त कर रखी है। अपीलार्थीया विधवा महिला है एवं उसका वादग्रस्त आराजी ही जीविका का साधन है। अतः न्यायहित में अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थीया खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीया ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद माने जाने का निवेदन किया । अपीलार्थीया ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अपीलार्थीया का कथन है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई है। अपीलार्थीया ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जाकाश्त पुराना होकर 40 वर्ष से कब्जा होने का कथन किया है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 2431 रकबा 09 बिस्वा जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी लादुपुरी पिता किशनपुरी गोसाई सा. देह खातेदार के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थीया स्वयं वादग्रस्त आराजी को प्रत्यर्थी संख्या 1 की होना मानती है एवं उस पर अपना कब्जा होने का कथन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करती है। प्रत्यर्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजी पर पत्थरगढी करवाई । पत्थरगढी के दौरान पर्चा मौका दिनांक 17.6.2009 को तैयार किया गया । जिसकी फोटो प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। जिसके अनुसार भी वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीया का कब्जा होने का अंकन किया हुआ है। प्रत्यर्थी/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्राप्त करने हेतु दिनांक 23.4.2014 को वाद पत्र प्रस्तुत किया । पत्रावली दिनांक 9.1.2015 को तामील में लंबित होना प्रकट हुआ है। दिनांक 24.4.2015 को नियत तारीख पेशी से पूर्व ही अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण को दिनांक 21.5.2015 को कोर्ट कैम्प सरदारनगर में नियत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21.5.2015 पर अपीलार्थीया/प्रतिवादिया के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर है। पत्रावली में शामिल सूचना पत्र क्रमांक 662 दिनांक 9.5.2015 अनुसार अपीलाण्ट राजूदेवी को कैम्प सरदारनगर में दिनांक 21.5.2015 को प्रातः 9.30 बजे उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया । सूचनापत्र की विधिवत तामील होना भी पत्रावली से प्रकट होता है। ऐसे में अपीलाण्ट का यह कथन कि उन्हें सूचना दिये बिना कैम्प कोर्ट में प्रकरण रखा जाकर निर्णित किया गया है, तथ्यों से मेल नहीं खाता है। सूचना पत्र से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को विधिवत तामील कराया जाकर सूचित किया गया है, तथा इस क्रम में ही अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति दर्ज कर प्रकरण लोक अदालत की भावना से निर्णित किया गया है। अपीलाधीन प्रकरण को उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने से लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया गया है। ऐसे में स्पष्ट परिलक्षित होता है कि स्वयं अपीलार्थीया/प्रतिवादी ने उपस्थित होकर वादग्रस्त भूमि से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कब्जा छोड देने की सहमति प्रदान की है। जिसके फलस्वरूप अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

14. अपीलार्थीया ने अपील मेमों में वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होने का कथन किया है। जिसकी खातेदार काश्तकार स्वयं नही होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को खातेदार होने का कथन किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया/प्रतिवादी का कब्जा हटाया जाकर खातेदार/प्रत्यर्थी संख्या 1 को कब्जा दिलाये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत है। उक्त अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत की भावना स राजीनामे के आधार पर पारित किया है। जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2015 को यथावत रखाजाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 28.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

**पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस**

**अपील संख्या आर टी ए / 20 / 2017**

**उनवान**

1. श्रीमती राजु देवी पत्नी स्व0 देबी पुरी जाति गोस्वामी, निवासी सरदार नगर, पटेलाई, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. लादु पुरी पुत्र किशनपुरी गोस्वामी निवासी सरदारनगर, पटेलाई, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण संख्या 11 / 2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.5.2015

——

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 20 / 2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, बनेडा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 28.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री राकेश सुराणा वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एम एल सेन उपस्थिति मे दिनांक 28.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

**: अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2015 को यथावत रखाजाता है।**

इस अपील के खर्चे जिनका ब्योरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 28.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

28/8/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

10 TA/20/2017 राजु देवी बनाम लादुपुरी

# अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

28/8/17

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा